षोडश माला, खंड 18, अंक 5 शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016

31 आषाढ़, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 18, नौवां सत्र, 2016 / 1938 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016 / 31 आषाढ़, 1938 (शक)

विषय **पृष्ठ संख्या**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 10

* सभा में व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए, तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 11-14

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति

(i) प्रतिवेदन 15

(ii) साक्ष्य 15

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

राव इंद्रजीत सिंह 16

सभा का कार्य 17-27

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव 28

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी 29-30

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना दे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016 / 31 आषाढ़, 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या है? मैं नहीं समझ पा रही हूँ।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया पत्र न दिखाएं।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: कृपया मुझे बताएं कि यह क्या हो रहा है।

... <u>(व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : किरीट जी, बोलिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

इस समय, श्री कौशलेन्द्र कुमार तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, भगवंत सिंह मान ने जिस प्रकार से वीडियो अपलोड कर के संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, ...(व्यवधान) उनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए। ...(व्यवधान) भगवंत सिंह मान के खिलाफ मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है, उसको आप एडमिट कीजिए। ...(व्यवधान) उन्होंने अंदर की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आर.के. सिंह जी, बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री आर.के.सिंह (आरा) : अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य श्री भगवंत मान ने सभी संसद सदस्यों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। ...(व्यवधान) उन्होंने संसद की सुरक्षा को खतरे में डाला है। ...(व्यवधान) मैडम, इससे बड़ा ब्रीच ऑफ प्रिवलेज कोई नहीं हो सकता है। मैडम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस पर एक ब्रीच ऑफ प्रिवलेज मोशन चलाया जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि [अनुवाद] मैं आपको 'शून्य काल' के दौरान बोलने की अनुमति दूंगी। मुझे सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका सही नहीं है। मैं शून्य काल में बोलने का मौका दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न *बारह* बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

*(***माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं)*

... <u>(व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, यह बहुत गम्भीर मामला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया, अपनी जगह पर जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

इस समय, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री शैलेश कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको बाद में बोलने का मौका दे दूँगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : मैं मानती हूँ, आपको भी मौका दूँगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

… (*व्यवधान*)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100
अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 ½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, श्रीमती मेनका संजय गांधी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

(1) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4900/16/16]

(3) (एक) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4901/16/16]

(5) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4902/16/16]

(7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4903/16/16]

(9) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4904/16/16]

… (*व्यवधान*)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4905/16/16]

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चयात नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4906/16/16]

… (*व्यवधान*)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): मैं प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 जो 31 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का. नि. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) प्रेस परिषद् (संशोधन) नियम, 2016 जो 28 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 466(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4907/16/16]

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति

(एक) प्रतिवेदन

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

… (*व्यवधान*)

(दो) साक्ष्य

श्री निशिकांत दुबे : मैं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण-वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): मैं योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-2017) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

… (*व्यवधान*)

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 4908/16/16

<u>अपराह्न 12.03 ½ बजे</u>

सभा का कार्य

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. अहलुवालिया): महोदया, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 25 जुलाई, 2016 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

1. आज की कार्य-सूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार;
2. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015 विचार तथा पारित करना;
3. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 विचार तथा पारित करना;
4. उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016 विचार तथा पारित करना
5. लोक सभा द्वारा यथा पारित शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2016 के राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् इसमें राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार तथा सहमति।
6. सामान्य राजस्व और आनुषंगिक मामलों पर रेल उपक्रम द्वारा देय लाभांश, जिसे संसद के दोनों सदनों में 22 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत किया गया था, की समीक्षा के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति, (2014) के पहले प्रतिवेदन के पैरा 5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18 और 19 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी संकल्प पर विचार।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इसके ऊपर जो सबमिशंस हैं, [अनुवाद] माननीय सदस्यगण, अपने निवेदनों को सभा पटल पर रखें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

***श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नांकित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. देश के मौजूदा संघीय ढांचे की वजह से देश के विकास में बाधा उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप देश का तीव्रगामी विकास नहीं हो पा रहा है। अतः देश के संघीय ढांचे को और आधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। देश के संघीय ढांचे को और आधिक सुदृढ़ और सशक्त बनाए जाने से संबंधित विषय।

2. देश के रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास स्थित निर्मित आवासीय भवनों के पुनर्निमाण के लिए रक्षा विभाग से एन.ओ.सी. लिए जाने से संबंधित जारी किए गए सर्कुलर एवं गाईडलाईंस को तत्काल प्रभाव से वापिस लिए जाने से संबंधित विषय।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

***श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :** मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:-

1. देश में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती रहती हैं। इन कंपनियों के कंपनी आधिनियम के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) मद के तहत विभिन्न सामाजिक एवं विकास के कार्य करवाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं लेकिन यह देखने में आया है कि कंपनियों द्वारा सी।एस.आर. मद की पूरी राशि खर्च नहीं की जाती है। अतः सी.एस.आर मद की राशि का पूर्ण खर्च करने एवं कार्यों की समीक्षा के विषय पर चर्चा को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

2. देश में सिंचाई के लिए कुएं, नलकूप, नहर, तालाब एवं वर्षा आदि प्रमुख साधन हैं। कई राज्यों में वर्षों सेसिंचाई परियोजनाएं, बांध निर्माण योजना लंबित पड़ी हुई है। लंबित योजनाओं में भूमि आधिग्रहण, वन स्वीकृति, धनराशि का अभाव, राज्यों में बंटवारें आदि कई कारण हैं, जिन पर संसद में चर्चा करके कानून बनाकर सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है जिससे देश के किसान खेती कर सकें। अतः इन विषयों को आगामी सप्ताह में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

*[*] **श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को शामिल कराने की कृपा करें:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चलने वाली चित्रकूट-कानपुर इंटरसिटी ट्रेन को कानपुर से लखनऊ तक कई बार आग्रह व क्षेत्रीय जनता की मांग के बावजूद नहीं बढ़ाया गया है, अस्तु इस विषय पर सदन में चर्चा कराकर उसे कानपुर से बढ़ाकर लखनऊ जो राजधानी है, प्रदेश की, बढ़ाया जाए।

2. चित्रकूट धाम देश का प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है फिर भी वहां देवागंना घाटी स्थित हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की पुराने हवाई अड्डों की पुनरूद्धार योजना में शामिल नहीं किया गया है, अस्तु आपसे अनुरोध है कि उत्त विषय को सदन में चर्चा कराकर चित्रकूट धाम की हवाई पट्टी को भी केंद्र सरकार की पुनरूद्धार योजना में शामिल कर हवाई यात्राएं शुरू कराई जाएं।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

*[*]**श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) :** मैं अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित विषय को एजेन्डे में जोड़ा जाए। यह विषय मेरे पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है:-

1. 2012-13 वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत प्रमुख जिला मार्ग क्रमांक 78/टी09, हनुमंतमाड से भत्तिनगर सड़क ता. सुरगण। क्रमांक 6/045, भारत निर्माण, पैकेज क्रमांक 2065 के अंतर्गत कार्य मंजूर किया गया था, परंतु ये कार्य लगभग दो साल से लंबित चल रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य को 19 मार्च, 2013 से 18 सितम्बर, 2014 के बीच पूरा किया जाना था। उत्त कार्य को 31 दिसम्बर से पूर्व पूरा किए जाने का कार्य किया जाए।

2. मेरा गृह राज्य महाराष्ट्र विगत कई सालों से सूखे की समस्या को झेल रहा है। सिंचाई से लेकर पेयजल की समस्या प्रतिदिन भयंकर होती जा रही है, खेतों को पानी नहीं मिलना, पशुओं को पानी नहीं मिलना, लोगों को पेयजल नहीं मिलने से पूरे महाराष्ट्र के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। किसान के खेतों में फसल पानी के अभाव में सूखने से किसान बैंकों से लिए गए ऋण की अदायगी नहीं कर पाने से महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र दिंडोरी के आस पास के क्षेत्रों में स्थित भातसा डैम, वैतरणा डैम एवं ताणसा डैम है, जिनका पानी पूरा मुम्बई को जा रहा है। अगर महाराष्ट्र के समुद्री तटों पर समुंद्री पानी को पेयजल में परिवर्तित करने के आधुनिक प्लांट मुंबई में लगाए जाएं और इससे मिलने वाले पानी को मुम्बई में वितरित किया जाए और मेरे उपरोत्त डैमों का पानी उत्तरी महाराष्ट्र के लिए प्रयोग किए जाने का कार्य किया जाए जिससे कुछ हद तक सूखा का सामना किया जा सके।

---

[*] सभा पटल पर रखा गया।

*[1]**श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):** निवेदन है कि संसद की आगामी सप्ताह की संसदीय कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाये।

1. जयपुर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता।

2. उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा प्रदेश की सरकारों को यमुना जल का अनधिकृत दोहन रोकने हेतु निदेरशित करने की आवश्यकता ताकि राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा यमुना जल प्राप्त हो सके।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

*[*] **श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) :** अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय जोड़े जायें-

1. देश में सम्पूर्ण खेल नीति के साथ साथ खेल कानून बनाये जाने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के शरीर सौष्ठव को बचाने में मदद मिल सके और देश दुनियाँ में अपना सम्मनजनक स्थान बना सके ।

2. जनसंख्या के बढ़ने की दर गंभीर संकट है अतः जनसंख्या नियंत्रण का एक मात्र विकल्प है "समान नागरिक कानून संहिता " सरकार आतिशीघ्र सदन के समक्ष कानून के रूप में लाये ।

* सभा पटल पर रखा गया।

*[1]**श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर) :** मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत मुसाबनी सुरदा स्थित केन्द्रीय विद्यालय का भवन काफी पुराना एवं जर्जर अवस्था में है। यहां के बच्चों को दूसरी जगह पर पढ़ाया जा रहा है। नए भवन के निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक पैसा नहीं देने के कारण नए भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को आविलंब राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ, जमशेदपुर के अंतर्गत पटमदा, पोटका प्रखण्ड में केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय की स्थापना कराई जाए।

2. बड़ागोविन्दपुर से छोटा गोविन्दपुर के बीच बारिगोड़ा एवं गधड़ा के बीच तथा आसनबनी स्टेशन के केबिन के पासएक आर.ओ.बी. (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण किया जाए तथा जुगसलाई ओवरब्रिज का काम आविलंब पूरा किया जाए।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*[*] **श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला):** मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि असमानता को कम करने और निरंतर समावेशी और सतत विकास हेतु सतत विकास लक्ष्यों के ऐतिहासिक 2030 एजेंडा पर सदन में चर्चा की जाए।

रेल मंत्रालय ने हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट की है, जिसमें दोनों प्रकार की रेल सेवाओं के लिए संभावित मार्गों की पहचान की गई है, कृपया इस विषय पर भी सदन में चर्चा की जाए।

* सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

*श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सप्ताह के अगले कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ने की कृपा की जाएः-

1. "गिरीडीह से कोडरमा रेल लाईन (धनबाद) मण्डल के लंबित रेल मार्ग परियोजना को गिरिडीह से कोआढ़ ते आविलम्ब जोड़ने और परियोजना का कार्य आविलंब पूरा कराने की आवश्यकता।"

2. "पारसनाथ-मधुबन रेल लाईन को जैन तीर्थ स्थल के महता, महान पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल के आधार पर परियोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर चालू वित्त वर्ष में पूरा करने की आवश्यकता।"

---

* सभा पटल पर रखा गया।

*__श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर):__ अनुरोध है कि मेरे निम्नलिखित वक्तव्यों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़े जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

1. कानपुर एवं समीपवर्ती जनपदों में गन्ने की खेती की प्रचुर संभावना के मद्देनजर बन्द पड़ी घाटमपुर चीनी मिल को पुनजीरवित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

2. जनपद कानपुर नगर में बंद पड़ी एन0टी0सी0 और बी0आई0सी0 की बन्द पड़ी मिलों को चालू कराये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु कार्यवाही अपेक्षित है।

---

* सभा पटल पर रखा गया।

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

[अनुवाद]

***भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए -- समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव**

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का आधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2016 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शीतकालीन सत्र, 2016 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* समय बढ़ाने का कारण बताने वाला ज्ञापन अलग से परिचालित किया गया है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.05 बजे</u>

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। मुझे श्री उदय प्रताप सिंह, श्री कौशलेन्द्र कुमार, डॉ. बूरा नरसैय्या गौड, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री राजेश रंजन, श्री के.सी.वेणुगोपाल, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्री तारिक अनवर एवं श्री ए. अनवर राजा से विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज के कार्य में व्यवधान डालना आनिवार्य नहीं है। ये मामले अन्य अवसरों पर उठाने के लिए दिए जाएँगे।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, आप थोड़ा सा तो शांत रहिए। ये क्या हो रहा है? ऐसे में मैं कुछ नहीं सुन पाऊँगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद] … (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे श्री भगवंत मान संसद सदस्य के विरुद्ध संसद भवन परिसर में सुरक्षा इंतजामों को अनधिकृत रूप से सार्वजनिक किए जाने और इस तरह से व्यव्हार करने, जो कि एक सदस्य के लिए अशोभनीय है, के संबंध में सर्वश्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा, निशिकान्त दुबे, प्रहलाद सिंह पटेल, राम चरित्र निषाद, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, राजेन्द्र अग्रवाल, महेश गिरी, ओम बिरला, सुधीर गुप्ता, राकेश सिंह, सुशील कुमार सिंह, प्रो.

चिन्तामणि मालवीय, डॉ. किरीट सोमैया, डॉ. रवीन्द्र कुमार राय, डॉ. संजय जायसवाल और डॉ. उदित राज संसद सदस्यों से दिनांक 22 जुलाई, 2016 को विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

इसके अलावा, मुझे श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य से श्री भगवंत मान, संसद सदस्य के विरुद्ध प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 334क के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई, 2016 की एक शिकायत भी प्राप्त हुई है। मुझे सर्वश्री उदय प्रताप सिंह, भर्तृहरि महताब और राजेश रंजन से इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं।

सर्वश्री चंद्रकांत खैरे, आनंदराव अडसुल और डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने प्रश्न काल को निलंबित करने के तत्काल पश्चात् इस मामले को उठाने की मांग की है।

लेकिन ये मामले मेरे विचाराधीन हैं और मैं इनके संबंध में निर्णय लूँगी।

[हिन्दी]

मैं मानती हूँ क्योंकि पार्लियामैंट की सिक्यूरिटी के लिए 13 लोगों ने जान गँवाई है। मामला गंभीर है और मैं मानती हूँ कि इस पर कोई न कोई कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मैं इस सब मामले में सोचूँगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। सब लोग क्या करेंगे?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर विचार करूँगी। मैंने आपसे कहा था। श्री भर्तृहरि महताब जी आप क्या कहना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अध्यक्ष के निदेश 124क तथा प्रक्रिया तथा कार्य - संचालन के नियमों के नियम 334क का भी उल्लेख कर रहा हूँ।

हम सभी जानते हैं और 13 दिसंबर, 2001 को हुई उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जब आतंकवादियों ने लोकतंत्र के इस मंदिर पर हमला किया था और 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यह किसी सदस्य के नैतिक आचरण का विषय नहीं है। यह केवल विशेषाधिकार का विषय नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक अलग समिति बनाई जाए क्योंकि आतंकवादी लोकतंत्र के इस मंदिर के प्रवेश द्वार तक घुस आए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भवन के भीतर कैसे प्रवेश किया जाए। इसलिए उन्होंने राज्य सभा के द्वार पर ही हमला कर दिया। उस समय श्रीमती सोनिया गांधी इतनी विचलित थीं - वे इस सभा के भीतर नहीं थीं - कि उन्होंने प्रधान मंत्री श्री अटल जी को टेलीफोन यह पता लगाने के लिए किया कि सभा के अंदर क्या हुआ था। इस प्रकार, उन्होंने हम सब के प्रति अपनी चिंता को दर्शाया था। इसे लेकर पूरा देश परेशान था। इसके बाद एक सुरक्षा समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने विश्व की विभिन्न संसदों का दौरा किया और इस प्रकार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बनाया गया। यह बहुत गम्भीर मामला है। मेरी अभी एकमात्र चिंता यही है। यह अज्ञानता नहीं है; यह मूर्खता भी नहीं है; यह हठधर्मिता है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि एक अलग समिति का गठन किया जाए। मैं इसे आपके निर्णय पर छोड़ता हूँ, क्योंकि यह आचार समिति का मामला नहीं है, यह विशेषाधिकार समिति का भी मामला नहीं है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर.के.सिंह (आरा) : मैडम स्पीकर, भगवंत मान जी कह रहे हैं कि वे पुनः वह कार्रवाई करेंगे, वे दुबारा करेंगे वीडियोग्राफी।

मैडम, मेरा मानना है, जबकि ये कह रहे हैं कि वे पुनः वही कार्रवाई करेंगे, पुनः सिक्यूरिटी को ज्योपार्डी में डालेंगे तो उनको तत्काल निलंबित किया जाए। उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, महताब जी ने जो उठाया, रियली यह बहुत गंभीर मामला है। सारे सदन को एक होकर इसे कंडेम्न करना चाहिए क्योंकि यह देश की सिक्यूरिटी का मामला है। 125 करोड़ जनता को रिप्रेज़ेंट करने वाले लोग, जो यहां पर बैठे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का भी प्रश्न है और देश का भी प्रश्न है। इसीलिए, जैसा कि उन्होंने कहा, इससे पहले जो टेररिस्ट अटैक इसके ऊपर हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस रास्ते से आना, कैसे आना, किस ढंग से जाना है। लेकिन, हमारे ही लोग, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और ऐसी हरकतें करने से देश को भी नुकसान होगा और डेमोक्रेसी को भी नुकसान होगा और कल कोई नहीं बचेगा।...(व्यवधान) इसीलिए, जो उन्होंने किया है उसे हम कंडेम्न करते हैं।...(व्यवधान) आपको एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली): ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ। हम इस सम्माननीय सदन की गरिमा और शिष्टता को बनाए रखेंगे। आप इस सभा की संरक्षक हैं। महोदया, कृपया आप इस मामले पर विचार करें और यथोचित आवश्यक कार्रवाई करें। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैडम, मैं इसका विटनेस हूं जब 13 दिसम्बर, 2001 को इस पार्लियामेंट रूपी मन्दिर पर अटैक हुआ था और हमारे तेरह सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान गंवाई और वे शहीद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमने जो रूल्स बनाए, उसकी धज्जियां उड़ाने का काम मान, जो अपने यहां के सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, उन्होंने इसे किया है। यहां तक कि वह रिपीटेडली बोल रहा है कि यह मैं करता रहूंगा।...(व्यवधान) अगर उसे जल्दी से जल्दी, आज के आज अगर बर्खास्त करें, यह हमारे सब सदस्यों का आग्रह है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, थोड़ा शांत हो जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : मैं बोल रही हूं कि हम कुछ करेंगे। मैं इसे गंभीरता से ले रही हूँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी, मैं सब की बात समझ रही हूं। मगर, शोर में कुछ नहीं होता।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : चन्दूमाजरा जी।

... (व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, मैंने जो प्रिविलेज मोशन दिया है, मुझे इस बात का दुःख है कि मैंने जिस ऑनरेबल मेम्बर के विरोध में दिया है, वे मेरे प्रदेश से हैं, मेरी कम्युनिटी से हैं।...(व्यवधान) मगर, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के मामले में और संसद की प्रेस्टीज के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता।...(व्यवधान) जैसे संसद की सीक्रेसी इन्होंने आउट की है, उसकी इनवेस्टिगेशन होनी चाहिए। ...(व्यवधान) इसके पीछे किसका हाथ है और क्या उद्देश्य था इसका? ...(व्यवधान) क्या जानना चाहते थे? ...(व्यवधान) इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान) इनको सस्पेंड करिए। ...(व्यवधान) हाउस में इनकी इंट्री बैन होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा सोमवार, 25 जुलाई, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 25 जुलाई, 2016 / 3 श्रावण, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित